न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष— आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 55—तीन/15 विरूद्ध आदेश, दिनाक 19—12—2014 पारित द्वारा तहसीलदार उचेहरा जिला सतना के प्रकरण कमांक 56/अ—27/2012—13.

1 रघुनन्दन प्रसाद तनय स्व0 श्री अयोध्या प्रसाद ब्रा0
2 श्रीधर तनय बालगोविन्द द्वारा वारिसान
(अ) उमा देवी पत्नी स्व0 श्री श्रीधर पाण्डेय
(ब) सुशील पाण्डेय तनय स्व0 श्री श्रीधर पाण्डेय
(स) रामजी पाण्डेय तनय स्व0 श्री श्रीधर पाण्डेय
(द) बीरेन्द्र पाण्डेय तनय स्व0 श्री श्रीधर पाण्डेय
3 बंशीधर पाण्डेय तनय बालगोविन्द ब्रा0
4 भरत किशोर पाण्डेय तनय बालगोविन्द ब्रा0
सभी निवासी ग्राम उचेहरा, तहसील उचेहरा, जिला सतना म0 प्र0
5 गंगा बाई पत्नी श्री बद्री प्रसाद गर्ग पुत्री बालगोविन्द्र ब्रा0
सा0 माधवगढ़ जिला सतना म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

रामकृष्ण वल्द अयोध्या प्रसाद ब्रा0
निवासी ग्राम उचेहरा, तहसील उचेहरा, जिला सतना म0 प्र0

.....अनावेदक

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आर0 के0 गर्ग, अभिभाषक, अनावेदक
:: आ दे श ::

(आज दिनांक 02/02/2016 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 55–तीन/15 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, उचेहरा जिला सतना के प्रकरण कमांक 56/अ–27/12–13 में पारित आदेश दिनांक 19–12–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है ।

2./ निगरानी मेमों में प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार लिखा है । निगराकार एवं गैर निगराकारगण एक ही वंशवृक्ष के हैं । गैर निगराकार द्वारा ग्राम पपरेमा एवं कटिया, तहसील उचेहरा स्थित आराजियों के बंटवारे हेतु तहसील उचेहरा स्थित आराजियों के बंटवारे हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन दिया गया था । निगराकारगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष इन पर यह आपत्ती ली गई कि गैर निगराकार द्वारा बंटवारा आवेदन में ग्राम कटिया की केवल 18 आराजियों का उल्लेख किया गया है, तथा शेष 32 आराजियां जो परिवार का मुखिया एवं कर्ताखानदान होने के कारण केवल गैर निगराकार के नाम पर दर्ज हैं, का उल्लेख अपने आवेदन में नहीं किया है । गैर निगराकार ने अपने उत्तर में इन शेष आराजियों को उसके एकल स्वामित्व व कब्जे की होना बताया । इस पर तहसीलदार ने दिनांक 14–2–13 को प्रकरण का निराकरण साक्ष्य द्वारा हो सकता है, ऐसा लेख किया । निगरानी मेमों के पद 4 में लिखे अनुसार गैर निगराकार के आवेदन पत्र का जवाब निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत किया गया, साथ ही सम्पूर्ण आराजी को एकत्र कर बंटवारा करने हेतु एक पृथक बंटवारा आवेदन भी उनके द्वारा लगाया गया । निगराकारगण के उक्त बंटवारा आवेदन के जवाब में गैर निगराकार ने उन आराजियों को जिनके संबंध में निगराकारगण ने आपत्ती प्रस्तुत की थी, अपनी स्वअर्जित आराजी बताया । निगराकारगण के अनुसार इन आराजियों को गैर निगराकार ने अपनी स्व अर्जित तो बताया है किन्तु उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये उन्हें कैसे प्राप्त हुई, ना ही इस संबंध में कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत किया । निगराकारगण का कहना है कि प्रकरण का साक्ष्य एवं गुणदोष के आधार पर निराकरण करने की बजाय तहसीलदार ने दिनांक 19–12–14 को प्रकरण फर्द पुल्ली हेतु नियत किया । इस आदेश के विरूद्ध निगराकारगण ने निगरानी प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने ये

आधार लिए कि प्रकरण का सही निराकरण साक्ष्य के आधार पर ही हो सकता है, और तहसीलदार द्वारा पहले साक्ष्य हेतु नियत करने के बाद प्रकरण में साक्ष्य ना लेकर फर्द पुल्ली बुलाने का आदेश करना उचित नहीं है ।

प्रकरण में निगराकार पक्ष के अधिवक्ता ने निगरानी मेमो एवं रिकार्ड के आधार पर निर्णय लिए जाने का निवेदन किया है । गैर निगराकार अधिवक्ता ने समक्ष में तर्क कर प्रकरण के तथ्यों को दोहराया तथा यह कहा कि तहसील का फर्द पुल्ली बुलाने का आदेश सही है क्योंकि केवल सहखाते की भूमि का ही बंटवारा किया जा सकता है, एकल खाते की भूमि का नहीं । इस आधार पर उन्होंने निगरानी खारिज करने का निवेदन किया ।

3/ मैने उपरोक्त के प्रकाश में प्रकरण के अभिलेखों का गंभीरता से अध्ययन किया । विचारण न्यायालय तहसील उचेहरा में विषयांकित प्रकरण कमांक 56/अ–27/12–13 वर्ष 2012 से चला है । यह सही है कि दिनांक 14–2–13 को तहसीलदार ने प्रकरण की आदेश पत्रिका में यह लिखा है कि "प्रकरण का निराकरण साक्ष्य द्वारा हो सकता है, अतः प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है, वास्ते आपत्तीकर्ता (निगराकारगण) साक्ष्य" । किन्तु उसके बाद प्रकरण में लगभग 30 पेशियां लगने और अवसर उपलब्ध होने के बावजूद निगराकारगण द्वारा साक्ष्य हेतु कार्यवाही ना करके जवाब देने की ही कार्यवाही की गई एवं प्रकरण विभिन्न प्रकमों से आगे बढ़ता रहा । दिनांक 17–7–14 की पेशी में आदेश पत्रिका पर यह लिखा है कि निगराकार रघुनन्दन की ओर से स्वत्व का विवाद होने का उल्लेख किया गया है, एवं यह भी लिखा है कि म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 178 में यह स्पष्ट लिखा है कि यदि हक संबंधी कोई प्रश्न उठाया जाता है तो समक्ष की कार्यवाही को तीन माह के लिये रोक दिया जाएगा जिससे हक संबंधी प्रश्न के अवधारण के लिए सिविल वाद का संस्थित किया जाना सुकर हो सके । ऐसा लिखते हुए, दिनांक 17–7–14 को हक का प्रश्न उठाए जाने के लिए मामला तीन मास के लिये स्थगित करते हुए दिनांक

17–10–14 को नियत किया गया है । तदुपरान्त दिनांक 19–12–14 को तहसील न्यायालय में उभयपक्ष अभिभाषक उपस्थित होने का उल्लेख है किन्तु स्वत्व हेतु किसी भी प्रकार का सिविल वाद दायर होने की कोई जानकारी उनके द्वारा प्रस्तुत किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है । यह स्पष्ट है कि राजस्व न्यायालयों को स्वत्व के बिन्दु का निराकरण करने का अधिकार नहीं है, केवल स्वत्व संबंधी अधिकारों के आधार पर संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार एवं दायित्व उनका है। ऐसे में तहसीलदार द्वारा दिनांक 19–12–14 की आदेश पत्रिका में यह लिखा जाना कि 'एकल खाते की भूमि का बंटवारा नहीं हो सकता; आवेदन सहखातों के बंटवारे का है; साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, प्रकरण फर्द पुल्ली हेतु नियत किया जाता है; इस बात को स्पष्ट करता है कि निगराकारगण ने उन आराजियों के संबंध में, जिन्हें लेकर वे गैर निगराकार का एकल स्वामित्व गलत होना बता रहे हैं, स्वत्व बाबत उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न के निराकरण हेतु कोई सिविल वाद दिनांक 17–7–14 से 19–12–14 के मध्य 4 माह से अधिक की अवधि में प्रस्तुत नहीं किया । ना ही उन्होंने ऐसे किसी भी वाद के दायर होने के संबंध में कोई जानकारी इस राजस्व मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है । तहसीलदार द्वारा यह लिखा जाना भी सही है कि बंटवारा आवेदन जिन आराजियों के संबंध में दिया गया है वे सहखाते की हैं, अतः उनके संबंध में साक्ष्य की आवश्यकता नहीं मान्य करते हुए तहसीलदार द्वारा फर्द पुल्ली हेतु प्रकरण नियत किए जाने में कोई गलती नहीं की गई है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 19–12–14 को किया गया यह लेख भी स्व–स्पष्ट है कि एकल खाते की भूमियों का बंटवारा नहीं हो सकता । निगराकारगण द्वारा ऐसी जिन भूमियों के गैर निगराकार के एकल स्वामित्व के होने की वजह से आपत्ती ली गई है, स्पष्टतः गैर निगराकार ने तहसील के समक्ष उन भूमियों को लेकर कोई निवेदन किया ही नहीं है । ऐसे में, इन विवादित भूमियों के स्वत्व के निराकरण को, अपने समक्ष विचाराधीन प्रकरण का भाग नहीं मानने में, तहसीलदार ने कोई गलती नहीं की है, विशेषकर तब जब 4 माह का अवसर दिए जाने के बाद भी निगराकारगण ने इन ('विवादित') भूमियों के स्वत्व के

प्रश्न के निराकरण के लिए कोई सिविल वाद दायर नहीं किया और ना ही दिनांक 14–2–13 से 17–7–14 के मध्य बार बार उपस्थित होने तथा दिनांक 14–2–13 को प्रकरण निगराकारगण के साक्ष्य हेतु नियत हो जाने के बावजूद अपने समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया । अतः मैं तहसीलदार द्वारा गैर निगराकार के आवेदन में सहखाते की भूमियों के बंटवारे हेतु फर्द पुल्ली हेतु प्रकरण नियत किये जाने के निर्णय में इन तथ्यों के प्रकाश में कोई गलती नहीं पाता हूँ एवं उस को सही पाता हूँ ।

इसके बावजूद यदि निगराकारगण ऐसा समझते हैं कि वे भूमियां, जिनके गैर निगराकार के एकल स्वामित्व की होने के बिन्दु पर उन्हें आपत्ती है, को भी सहखाते की मानकर उनका बंटवारा किया जाना चाहिए, तो वे उनके स्वत्व के बिन्दु को पृथक सक्षम न्यायिक वाद के माध्यम से पहले स्पष्ट करायें । उसके बाद ही वे इन भूमियों के बंटवारे के प्रश्न को उठाने का अधिकार रख सकेंगे यदि ऐसे सक्षम न्यायिक निर्णय के परिणामस्वरूप ये विवादित भूमियां सहखाते की होनी सिद्ध एवं घोषित होती हैं तो । यहॉ मेरा यह भी मत है कि कोई भी सम्पत्ती संयुक्त हिन्दू परिवार के संयुक्त स्वामित्व की तभी तक मानी जाती है जब तक उस परिवार के सदस्य अपनी स्व–अर्जित सम्पत्ती को पृथक नहीं रख रहे हों और उसें संयुक्त परिवार के खाते में ही शामिल कर रहे हों । यदि संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई सदस्य ऐसा नहीं करता है तो वह संयुक्त परिवार भंग माना जाता है । यहां उन आराजियों, जिनके एकल स्वामित्व के होने पर निगराकारगण आपत्ती कर रहे हैं, के राजस्व अभिलेखों में उनके संयुक्त स्वामित्व की होकर गैर निगराकार को उनका 'कर्ता' होना नहीं दर्ज है । उन पर केवल गैर निगराकार का नाम दर्ज है । अतः चूँकि कथित संयुक्त हिन्दू परिवार के एक सदस्य द्वारा कुछ संपत्ती को संयुक्त परिवार से अलग कर दर्शाया गया है, इसलिये उन सभी संपत्तियों का जो संयुक्त स्वामित्व में हैं, का बंटवारा किया जाना लाजमी है एवं अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त ऐसे में गैर निगराकार के एकल खाते की भूमियों का बंटवारा तब तक भी नहीं हो सकता जब तक इन्हें राजस्व अभिलेखों में संयुक्त स्वामित्व की दर्ज नहीं किया जाता । यदि निगराकारगण का यह मानना है कि

राजस्व अभिलेखों में अनुचित बदलाव करके इन भूमियों को संयुक्त स्वामित्व के स्थान पर एकल स्वामित्व की दिखा दिया गया है, तो इस संबंध में भी वे, यदि आवश्यक समझें तो, पृथक आवेदन प्रकरण द्वारा अपने बिन्दु के योग्य निराकरण के लिये सक्षम न्यायालय में पृथक कार्यवाही कर अपने इस बिन्दु का उचित निराकरण करा सकते हैं । किन्तु ऐसी राजस्व अभिलेखों की दुरूस्ती अथवा स्वत्व के निराकरण की अपेक्षा में वे उन भूमियों के बंटवारे की प्रकिया को विलम्बित नहीं कर सकते जो स्पष्टतः संयुक्त स्वामित्व की हैं एवं जिनका बंटवारा अपेक्षित एवं आवेदित है ।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मैं तंहसीलदार के आक्षेपित आदेश दिनांक 19–12–14 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता, उसे यथावत रखता हूँ, एवं यह निगरानी खारिज करता हूँ ।

आदेश पारित ।
प्रकरण समाप्त ।
पक्षकारगण सूचित हों ।
अभिलेख वापस हों ।
दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर